Ex.P-264

# कथन – विकास जैन

| | | |
|---|---|---|
| थाना | – | राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर |
| अपराध क्रमांक | – | 09 / 2015 |
| धारा | – | 13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988, 109, 120 बी भा0द0वि0 |
| नाम व पिता का नाम | – | विकास जैन पिता स्व. झूम्मरलाल जैन |
| उम्र | – | 36 वर्ष |
| पता | – | राजा बाड़ा, स्टेट बैंक के बाजू में नगरी, तह. नगरी जिला– धमतरी (छ0ग0) |
| मोबाईल नंबर | – | 96440–93511 |
| व्यवसाय | – | गणेश राईस मिल, नगरी सह–संचालक जिला– धमतरी (छ0ग0) |

——00——

मैं विकास जैन पूछे जाने पर बता रहा हूं कि मैं गणेश राईस मिल का सह–संचालक हूं, गणेश राईस मिल मेरी माता श्रीमती सकुंतला जैन के नाम पर है। मैं इस राईस मिल के कारोबार की देख–रेख करता हूं। मैं नगरी मार्कफेड से धान उठाकर राईस मिलिंग करता हूं और नगरी के नागरिक आपूर्ति निगम गोदाम एवं एफ.सी.आई. धमतरी में चावल जमा करता हूं। मेरा तीन महिने का अनुबंध है, जिसमें मुझको 12 हजार क्विंटल धान राईस मिलिंग करके देना है। इस अनुबंध को पूर्ण करने के पश्चात् पुनः अनुबंध होता है एवं धान का एलाटमेंट होता है। नगरी में 08 हजार टन क्षमता का गोदाम है। नगरी क्षेत्र में काफी मात्रा में धान पैदा होता है। नगरी में 20 राईस मिल है जिससे काफी मात्रा में चावल निकलता है, जिसके कारण नगरी के गोदाम हमेशा चावल से भरा रहता है। हमें अनुबंध के अनुसार चावल जमा करना होता है, अन्यथा फाईन पटाना पड़ता है। हम पर समय पर अनुबंध के अनुसार धान मिलिंग कर चावल जमा करने का दबाव बना रहता है। इस हेतु नान के अधिकारियों को कलेक्शन की रकम देनी होती है, अन्यथा हमारे चावल को रिजेक्ट कर दिया जाता है तथा कई बार स्थान का अभाव बताकर वापस कर दिया जाता है। इस हेतु प्रति क्विंटल 08रू. के हिसाब से कलेक्शन की रकम देते है। हमारे यहां से बस्तर के सेन्टरों में चावल जाता है तब ही जगह बन पाती है। अन्यथा हमारा चावल लेना रूक जाने से व्यवसायिक नुकसान उठाना पड़ता है। यही मेरा कथन है।

दिनांक 06.04.2015

(एस0डी0 देवस्थले)
निरीक्षक
आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,
रायपुर, छत्तीसगढ